कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

मो0 मकसूद आलम खां,
पिता स्व0 रूस्तम खान,
ग्राम गोपालडीह, थाना जयनगर,
जिला–कोडरमा।

विविध वाद सं0 ..25../2017–18

8/11/17 आवेदक मकसूद आलम खां, पिता स्व0 रूस्तम खान, ग्राम– गोपालडीह, पो0 व थाना जयनगर, जिला–कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 138 अर्न्तगत प्लॉट नं0 2798 एवं 2799, रकवा क्रमशः 01 डी0 एवं 08 डी0 भूमि केवाला सं0 4628 दिनांक 04.08.2001 के द्वारा खरीद किया गया है। दाखिल खारिज के जांच प्रतिवेदन में कुल 09 डी0 भूमि का अनुशंसा किया गया था, परन्तु शुद्धि पत्र मात्र 07 डी0 भूमि का निर्गत हो गया है। आवेदक द्वारा उक्त जमीन के रकवा को सुधार कर शुद्धि पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ..28/11/17.. को उपस्थापित करें।

08/11/2017
अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

28/11/17
08/12/17 अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर जांच कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 138 अर्न्तगत प्लॉट नं0 2798 एवं 2799, रकवा क्रमशः 0.01 ए0 एवं 0.08 ए0 कुल 0.09 ए0 भूमि का ऑन लाइन का प्रविष्टी करने हेतु करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा भूमि से संबंधित विक्रय पत्र सं0 4628 दिनांक 04.08.2001 की छायाप्रति, दाखिल खारिज वाद सं0 2331/2004–05 का आदेश फलक, कर्मचारी प्रतिवेदन एवं शुद्धि की छायाप्रति संलग्न की गई है।

कर्मचारी प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाता नं0 138, प्लॉट नं0 2798 एवं 2799, रकवा क्रमशः 0.01 ए0 एवं 0.08 ए0 कुल 0.09 ए0 का दाखिल खारिज हेतु अनुसंशा की गई है। परन्तु शुद्धि पत्र में प्लॉट सं0 2798, रकवा 0.03 ए0 एवं प्लॉट सं0 2799 रकवा 0.04 ए0 कुल 0.07 ए0 का उल्लेख शुद्धि पत्र एवं आदेश फलक में की गई है। वर्तमान में राजस्व पंजी ।। का अवलोकन किया, पाया कि पंजी।। का पृष्ट सं0 69/31 पर प्लॉट नं0 2798 रकवा 03 डी एवं 2799, रकवा 04 डी0 कुल रकवा 07 डी0 की जमाबन्दी कायम की गई है। प्राधिकार कॉलम में BF पेज नं0 3/22 और 4/22 अंकित है। पृष्ठ सं0 4/22 पर अब्दुल हफीज पिता स्व0 नूर खां, अब्दुल रज्जाक, मो0 सउद, मो0 महमुद पिता अब्दुल हफीज के नाम से प्लॉट सं0 2798 रकवा 04 डी0 एवं प्लॉट सं0 2799, रकवा 08 डी0 कुल 12 डी0 की जमाबन्दी कायम है। दाखिल खारिज की स्वीकृति

Scanned with CamScanner

के पश्चात जमाबन्दी कायम तो की गई है, परन्तु पूर्व जमाबन्दी रैयत की जमाबन्दी से घटाया नहीं गया है। चूंकि पूर्व जमाबन्दी पृष्ट सं0 4/22 से प्लॉटवार रकवा की जमाबन्दी कायम है। लिपिकीय भूल के कारण आवेदक की जमाबन्दी विक्रय पत्र में दर्ज प्लॉट रकवा के अनुसार कायम नहीं हुई है। दाखिल खारिज अभिलेख सं0 2331/2004-05 में पूर्व जमाबन्दी में रकवा संशोधन के उपरांत जमाबन्दी पृष्ट सं0 4/22 से प्लॉट सं0 2798 एवं 2799, रकवा क्रमशः 0.01 ए0 एवं 0.08 ए0 कुल 09 डी0 घटाकर क्रेता के नाम से ऑन लाईन प्रविष्टी की जा सकती है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 138, प्लॉट नं0 2798 एवं 2799, रकवा क्रमशः 0.01 ए0 एवं 0.08 ए0 कुल 0.09 ए0 भूमि की जमाबन्दी जमाबंदीधारक मकसूद आलम खां, पिता स्व0 रूश्तम खान के नाम से कायम करते हुए पूर्व जमाबन्दी में रकवा संशोधन का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

08/12/2017

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

Scanned with CamScanner